संख्या–3679 / नौ–आ–1–2000–97डी.ए. / 2002(आ.ब.)

प्रेषक,

जे. एस. मिश्र
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त उपाध्यक्ष
विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश

आवास अनुभाग–1 लखनऊः दिनाँक–21 अगस्त, 2002

विषय : सरल शमन योजना, 2002 के कतिपय प्राविधानों में संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सरल शमन योजना, 2002 से सम्बन्धित शासनादेश संख्या 3478 / 9–आ–1 / 2000–97 डी.ए. / 2002 (आ.ब.) दिनांक 14 अगस्त, 2002 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त योजना पर दिनांक 16.8.2002 को आवास बन्धु में आयोजित कार्यशाला में हुए विचार–विमर्श के समय विकास प्राधिकरणों से कतिपय महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त हुए हैं जिनका समावेश सरल शमन योजना, 2002 में किया जाना औचित्यपूर्ण पाया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सरल शमन योजना, 2002 में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निम्नलिखित परिष्कार किए जाने का निर्णय लिया गया है :–

2.1 1000 वर्ग मीटर अथवा अधिक क्षेत्रफल के भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान सुनिश्चित करने हेतु सरल शमन योजना–2002 की टिप्पणी के क्रमांक–(अपप) के रूप में निम्न प्राविधान जोड़ा जाए :–

"रेन वाटर हार्वेस्टिंग के समबन्ध में भवन स्वामी से इस आशय का शपथ–पत्र लिया जाएगा कि उसके द्वारा शमन मानचित्र की स्वीकृति के पश्चात् दो माह के अन्दर रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था कर ली जाएगी। भवन में रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था होने के उपरान्त ही प्राधिकरण द्वारा भवन मानचित्र निर्गत किया जाएगा।"

2.2 शमन योजना के प्रस्तर–5.3 के अन्त में निम्न प्राविधान जोड़ा जाए :–

"बहुमंजिले भवनों (चार मंजिले से अधिक) हेतु 2.0 से अधिक एफ.ए.आर. परन्तु अधिकतम 2.5 इस शर्त सहित शमनीय होगा कि सड़क की न्यूनतम चौड़ाई 18 मीटर हो।"

2.3 शमन योजना के प्रस्तर–6 की तालिका में "**मानचित्र जमा, परन्तु स्वीकृत नहीं**" को "**मानचित्र स्वीकृत नहीं**" से प्रतिस्थापित किया जाए।

2.4 सरल शमन योजना के प्रस्तर–4.3.5 के अन्त में निम्न प्राविधान जोड़ा जाए :–

'परन्तु सामूहिक पार्किंग हेतु चयनित वैकल्पिक स्थल शमनीय निर्माण के अधिकतम 100 मीटर की परिधि के अन्तर्गत होना चाहिए।''

2.5 सरल शमन योजना, 2002 के अन्तर्गत पार्किंग क्षेत्र चूंकि शमनीय नहीं रखा गया है, अतः शमन योजना की पुस्तिका के ***प्रस्तर–6 की तालिका के नोट (अ) तथा आवेदन हेतु निर्धारित प्रपत्र के क्रमांक–11 की तालिका के क्रम संख्या–4 जो पार्किंग क्षेत्र के शमन से सम्बन्धित है, को डिलीट किया जाए।***

3. कृपया योजना को लॉंच करने से पूर्व शमन योजना की पुस्तिका में उपर्युक्त परिष्कारों का समावेश सुनिश्चित करते हुए आपके प्राधिकरण द्वारा मुद्रित शमन पुस्तिका की 5 प्रतियाँ आवास बन्धु को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

जे. एस. मिश्र

सचिव।

संख्या :– 3670(1)/9–आ–1–2002–97डी.ए./2002(आ.ब.) तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
2. आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
3. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
4. अध्यक्ष, यूपीरेडको, लखनऊ।
5. अध्यक्ष, आर्कीटेक्ट्स एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश।
7. अपर निदेशक, नियोजन, आवास बन्धु।

संलग्नक : सरल शमन योजना, 2002

आज्ञा से

संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव।